



## केन्द्रीय विद्यालय संगठन

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन)

संभागीय कार्यालय, आई.आई.टी. कैंपस, पवई, मुंबई 400076

**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN**

(Under Min. of Education, Govt. of India)

Regional Office, IIT Campus, Powai, Mumbai-400076.

दूरभाष/Tel. (022) 2572 8060/2328/6763/1614/0717 (EAPBX)

ईमेल/E-mail : [kvsmumbairegion@gmail.com](mailto:kvsmumbairegion@gmail.com)

WEBSITE : <https://romumbai.kvs.gov.in>

F.N.27331/KVS RO Mum/Admission-2024-25

दिनांक: 15.04.2024

ईमेल द्वारा


प्राचार्य  
केन्द्रीय विद्यालय (सूची अनुसार)  
मुंबई संभाग

**विषय :-** विभिन्न कक्षाओं में अभिभावकों के स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति/गृहस्थान में बदलाव के आधार पर विद्यार्थियों के प्रवेश के संबंध में

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अभिभावकों के स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति/गृहस्थान में बदलाव के आधार पर अधोलिखित विद्यार्थियों को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में प्रवेश की अनुमति (क्र. सं. 1 से 10 को छोड़कर) निम्नानुसार प्रदान की जाती है। प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि केविस प्रवेश दिशानिर्देश 2023-24 में निर्धारित शर्तों को पूरा किया गया है और बच्चे केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए अन्यथा पात्र हैं।

क्र. सं.	विद्यार्थी का नाम	कक्षा	विद्यालय से	विद्यालय को	अभियुक्ति
1.	PREM DEEPAK TIPULE	IV	KV MIRC NO.2 AHMEDNAGAR	KV ONGC PANVEL	Not permitted
2.	ARUSHI	V	KV AHMEDABAD CANTT	KV ONGC PANVEL	Not permitted
3.	RITIKA RAVINDRA SATPUTE	VII	KV NO. 1 DEVLALI	KV ONGC PANVEL	Not permitted
4.	SOHAM RAVINDRA SATPUTE	VII	KV NO. 1 DEVLALI	KV ONGC PANVEL	Not permitted
5.	ARYAN RAVINDRA SATPUTE	VII	KV NO. 1 DEVLALI	KV ONGC PANVEL	Not permitted
6.	KUMARI RIDDHI SINGH	V	KV HINOO, RANCHI	KV ONGC PANVEL	Not permitted
7.	SADHVI PATEL	II	KV SINGRAULI, M.P.	KV ONGC PANVEL	Not permitted

  
15.04.2024




8.	AASTHA KUMARI	IV	KV OKHA PORT, GUJRAT	KV ONGC PANVEL	Not permitted
9.	AAROHI SHANKAR YEDGE	V	APS, PUNE	KV ONGC PANVEL	Not permitted
10.	SHRAVAN SHANKAR YEDGE	IX	APS, PUNE	KV ONGC PANVEL	Not permitted

प्राचार्य इस आलोक में संबंधित अभिभावकों को जानकारी प्रदान करना सुनिश्चित करें।

यह पत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

भवदीय

  
(स. व. जोगलेकर)  
सहायक आयुक्त